न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 479 दिनांक 15/04/25

अनवान :–

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
केशराराम वगैरा	बनाम	सणगारी वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमवंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 284/2024

दिनांक : 15.04.2025

आदेश

तहसीलदार **धनाऊ** को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र सांवा के मौजा **सदराम की बेरी** के खेत खसरा सं. 779/579, 781/579 रकबा क्रमशः 06.9768, 05.7303 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाना है। उक्त विवादित भूमी की नेखमवंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमवंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाना है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 480 to 483 दिनांक 15/04/25

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी केशराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण सणगारी वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/[illegible]/धोरीमन्ना/[illegible]डवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.21 10:39:11 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी